गगांधर सोंलकी बनाम जिला कलेक्टर जालोर प्रकरण संख्या 08/2019

19.02.2019	अपीलांट अनुपस्थित व राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर,) जालोर उपस्थित होकर जवाब पेश किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर) ने व्यक्त किया कि अपीलांट का आवेदन पत्र 12.12.2018 को प्राप्त होने पर वांछित सूचनाए तहसीलदार आहोर से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 6(3) के तहत तहसीलदार आहोर को जरिए पत्रांक/931-932 दिनांक 17.12.2018 को अंतरित किया जाकर अपीलांट को सूचित किया गया। बिन्दु सुख्या 2 की सूचना निर्वाचन शाखा की ओर से उपलब्ध करवा दी गई है। जो कि अपीलांट स्वीकार करता है आवेदन पत्र तहसीलदार आहोर को अंतरित करने के पश्चात भी अपीलांट को बिन्दु संख्या 1 की सूचना तहसीलदार सहायक लोक सूचना अधिकारी आहोर द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है। जो कि दायित्व था कि आवेदित सूचना अपीलांट को उपलब्ध कराते। अत: अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे। हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर) के द्वारा व्यक्त किये गये तथ्यो पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 41 एफ 236462 के संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 5.09.2018 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर) से 2 बिन्दुओ पर सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर) सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अपीलांट का आवेदन पत्र तहसीलदार आहोर को अंतरित किया गया। अत: अपीलांट की अपील स्वीकार कर सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार आहोर) को निर्देश दिये जाते है कि आपीलांट द्वारा आवेदित उपलब्ध सूचना संबंधित से प्राप्त की जाकर 20 दिन की समयावधि में अपीलांट को नि:शुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। Sd/- प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.12 17:45:24 IST
Reason: SelfAttested